



OFFICE OF THE DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS,
RAMPUR FOREST DIVISION, RAMPUR BUSHAHR,
HIMACHAL PRADESH FOREST DEPARTMENT



No. 374
H.P. Forest Department.

Dated Rampur, the 22/04/2026

From: DCF Rampur.

To:- Nodal Officer-cum-APCCF (FCA),
O/o Pr. CCF (HoFF) Talland, Shimla-1.

Sub:- Diversion of 0.182 ha. of forest land in favour of Directorate of Transport of HP for construction of Bus Stand Nankhari, Tehsil Nankhari, Distt. Shimla HP within the jurisdiction of Rampur Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

संदर्भ: State Government Proposal No. FP/HP/Others/148085/2021 dated 19.09.2025.

Sir,

Kindly refer to Dy. Inspector General of Forests (FC) office letter dated 19.10.2025 on the subject cited above.

In this context, it is intimated that following conditions as laid down in in-principle approval accorded by the Dy. Inspector General of Forests (FC) in respect of subject cited proposal is as under:-

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है :-

Sr. No.	Condition	Compliance
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	इस संबंध में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्राप्त शपथपत्र संलग्न है।
2.	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों	इस संबंध में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्राप्त शपथपत्र संलग्न है।

	की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	
3.	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 0.3640 हे० वन भूमि Block/compartment/Survey No-53E/11, DPF Shakaridhar, Nankhari Forest Range, Rampur Bushahr Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।	विभाग द्वारा प्रस्तुत बिल के अनुसार सीए (CA) एवं एनपीवी (NPV) राशि ₹3,99,114/- मदों के लिए ऑनलाइन चालान/यूटीआर संख्या HPSCN 26079003568 के माध्यम से CAMPA खाते में जमा कर दी गई है। उक्त चालान की प्रति संलग्न है, जिसे परिशिष्ट-3 के रूप में संलग्न किया गया है।
4.	प्रस्तावित CA land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उससे संबंधित दस्तावेज, अन्यथा, IFA 1927 के अंतर्गत, RF/PF में अधिसूचित करा कर, ततसंबंधित दस्तावेज, विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।	इस संबंध में संबंधित दस्तावेज संलग्न हैं, जो वन भूमि विभाग के नाम दर्ज हैं।
5.	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।	प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड कर दिया गया है।
6.	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।	इस संबंध में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्राप्त शपथपत्र संलग्न है।
7.	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य	इस संबंध में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्राप्त शपथपत्र संलग्न है।

	सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।	
8.	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेसी द्वारा किया जाएगा।	इस संबंध में प्रयोक्ता एजेसी द्वारा प्राप्त शपथपत्र संलग्न है।
9.	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।	इस संबंध में प्रयोक्ता एजेसी द्वारा प्राप्त शपथपत्र संलग्न है।
10.	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले-आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।	इस संबंध में प्रयोक्ता एजेसी द्वारा प्राप्त शपथपत्र संलग्न है।
11.	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।	इस संबंध में प्रयोक्ता एजेसी द्वारा प्राप्त शपथपत्र संलग्न है।
12.	प्रयोक्ता एजेसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।	इस संबंध में प्रयोक्ता एजेसी द्वारा प्राप्त शपथपत्र संलग्न है।
13.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	इस संबंध में प्रयोक्ता एजेसी द्वारा प्राप्त शपथपत्र संलग्न है।
14.	प्रयोक्ता एजेसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।	इस संबंध में प्रयोक्ता एजेसी द्वारा प्राप्त शपथपत्र संलग्न है।
15.	प्रयोक्ता एजेसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	इस संबंध में प्रयोक्ता एजेसी द्वारा प्राप्त शपथपत्र संलग्न है।

16.	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी।	इस संबंध में प्रयोक्ता एजेसी द्वारा प्राप्त शपथपत्र संलग्न है।
17.	प्रयोक्ता एजेसी सी डब्ल्यू एल डब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास उपलब्ध कराएगी।	इस संबंध में प्रयोक्ता एजेसी द्वारा प्राप्त शपथपत्र संलग्न है।
18.	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	इस संबंध में प्रयोक्ता एजेसी द्वारा प्राप्त शपथपत्र संलग्न है।
19.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा। मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाए गये वृक्षों का पतन नहीं किया जायेगा।	इस संबंध में प्रयोक्ता एजेसी द्वारा प्राप्त शपथपत्र संलग्न है।
20.	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।	इस संबंध में प्रयोक्ता एजेसी द्वारा प्राप्त शपथपत्र संलग्न है।
21.	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर लगाई जा सकती है।	इस संबंध में प्रयोक्ता एजेसी द्वारा प्राप्त शपथपत्र संलग्न है।
22.	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम/न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	इस संबंध में प्रयोक्ता एजेसी द्वारा प्राप्त शपथपत्र संलग्न है।

23.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	इस संबंध में शपथपत्र संलग्न है।
-----	---	---------------------------------

It is therefore, requested that necessary stage-II approval in the instant case may kindly be obtained from competent authority.

Encl: As above.

Dy. Conservator of Forests,
Rampur Forest Division,
Rampur Bushahr, H.P.

Endst. No. 375-76 Dated Rampur, the 24/04/2026

Copy is forwarded to :


1. CF Rampur for information please.
2. Regional Manager, HRTC Rampur Bushahr Distt. Shimla HP for information and further necessary action.

Dy. Conservator of Forests,
Rampur Forest Division,
Rampur Bushahr, H.P.


CERTIFICATE

It is certified that no plantation work has been carried out under any scheme or programme in the proposed CA area DPF -Shikaridhar, Dansa Beat, Nogli Block, Rampur Range of Rampur Forest Division.

Place: Rampur
Dated: 21.04.2026


(Gurharsh Singh), IFS
Dy. Conservator of Forests,
Rampur Forest Division, H.P


Proforma		
1	State/District/Forest Division to which the proposal relates	Himachal Pradesh/Distt. Shimla/Rampur Forest Division
2	Name of user agency, nature of proposal	Regional Manager HRTC, Rampur Bsr. Distt. Shimla H.P.
3	Extent of forest area involved	0.182 hac.
4	Whether original or extention	Original proposal
5	If extention of lease, please clarify if proposal involves additiona forest area, and if so specify.	N.A
6	Date of 1 st stage clearance	19.10.2025
7	Amount realized: (in Rs.)	0
A	Compensatory afforestation	1,44,713
B	Additional CA	0
C	Penal CA	0
D	Catchment area treatment	0
e	Wildlife Management Plan	0
f	Additional charges for diversion of area falling under notified/protected area	0
g	Net present value	2,75,954
h	Any other charages levies (Reclamation Plan)	0
8	Detail of bank draft (bank, Draft No. Date & amount)	Nil
9	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	The user agency has been deposited Rs. 3,99,114/- in the HP CAMPA account through online challan/ UTR No. HPSCN 26079003568 dated 20/03/2026 in Union Bank of India FCS Bangalore.
10	Bank (Corporation bank, Lodhi complex/Union Bank of India, Sunder Nagar) in which deposited, with date of deposition.	Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027
11	Any other remarks	NA


 Dy. Conservator of Forests,
 Rampur Forest Division, H.P

Undertaking

Diversion of 0.182 ha. of forest land in favour of Directorate of Transport of HP for construction of Bus Stand Nankhari, Tehsil Nankhari, Distt. Shimla HP within the jurisdiction of Rampur Forest Division, District. Shimla, Himachal Pradesh

<p>Condition No. 3</p>	<p>राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 0.3640 हे० वन भूमि Block/compartment/Survey No-53E/11, DPF Shakaridhar, Nankhari Forest Range, Rampur Bushahr Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्त्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।</p>	<p>विभाग द्वारा प्रस्तुत बिल के अनुसार सीए (CA) एवं एनपीवी (NPV) राशि ₹3,99,114/- मर्दों के लिए ऑनलाइन चालान/यूटीआर संख्या HPSCN 26079003568 के माध्यम से CAMPA खाते में जमा कर दी गई है। उक्त चालान की प्रति संलग्न है, जिसे परिशिष्ट-3 के रूप में संलग्न किया गया है।</p> <p>Block/compartment/Survey No-53E/11, DPF Shakaridhar, Rampur Forest Range, Rampur Bushahr Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh पर अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।</p>
-------------------------------	--	---


Dy. Conservator of Forests,
Rampur Forest Division,
Rampur Bushahr, H.P.

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 20-03-2026

Agency Name.	DIRECTORATE OF TRANSPORT OF HP
Application No.	199148086031
MoEF/SG File No.	FC/HPB/09/01/2026
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address:	Regional Manager, Rampur Distt. Shimla H.P Shimla
Amount (in Rs)	398114/-


Amount in Words: Three Lakh Ninety-Nine Thousand One Hundred and Fourteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	15070199148086031 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Challan, if the payment status has not been updated by your challan with transaction date and reference no. @unionbankofindia.bank,



UTR - HPSCM 26079003568

2022



THE NATIONAL INSTRUMENTS CORP. BANGALORE
Trading Branch

भारत का वर्येन डीमांड पेय

२००० RUPEES

Twenty One Thousand Five Hundred Fifty

24 03 20 26
D D M Y Y Y

का रकम अंशतः वर्येन डीमांड पेय

**21553.00

वर्णन वर्येन डीमांड पेय
FOR VALUE RECEIVED

Three One

AA 298612

वर्णन वर्येन डीमांड पेय

वर्णन वर्येन डीमांड पेय
(Trading Branch)

वर्णन वर्येन डीमांड पेय

वर्णन वर्येन डीमांड पेय

वर्णन वर्येन डीमांड पेय

वर्णन वर्येन डीमांड पेय

वर्णन वर्येन डीमांड पेय

वर्णन वर्येन डीमांड पेय

वर्णन वर्येन डीमांड पेय

वर्णन वर्येन डीमांड पेय

वर्णन वर्येन डीमांड पेय

वर्णन वर्येन डीमांड पेय

वर्णन वर्येन डीमांड पेय

वर्णन वर्येन डीमांड पेय


298612 172310021

16

Undertaking

Diversion of 0.182 ha. of forest land in favour of Directorate of Transport of HP for construction of Bus Stand Nankhari, Tehsil Nankhari, Distt. Shimla HP within the jurisdiction of Rampur Forest Division, District. Shimla, Himachal Pradesh

Condition No. 4.	<p>प्रस्तावित CA land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उससे संबंधित दस्तावेज, अन्यथा, IFA 1927 के अंतर्गत, RF/PF में अधिसूचित करा कर, ततसंबंधित दस्तावेज, विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।</p>	<p>प्रस्तावित CA land, वरु ए ई0 न0 354 वाका तबदीली कब्जा के द्वारा खाता हजा में खाता संख्या 203 मिन/436 में मालिक सरकार हिमाचल प्रदेश कब्जा स्वयं ताबे हकूक बर्तन बर्तनदारान मुताबिक नक्शा बर्तन बहक मालिक सरकार हिमाचल प्रदेश व खानाकाश्त कब्जा में कब्जा वन विभाग, जंगल मेहफूजा, मैहदूदा शिकारीधार के नाम मिति 17-12-2024 से कब्जा स्वीकार किया गया है।</p> <p>दस्तावेज-:</p> <ol style="list-style-type: none">1, जमाबंदी2 ततीमा3 Working Plan में दर्ज DPF शिकारीधार क्षेत्र संलग्न है
-----------------------------	---	--


Dy. Conservator of Forests,
Rampur Forest Division,
Rampur Bushahr, H.P.

राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश - नकल जमाबंदी

एन.पी.ए रसीद संख्या: 6111160425112911

सेवा शुल्क : ₹ 40.00
 नकल शुल्क : ₹ 45.00
 कुल शुल्क : ₹ 85.00

जिला : शिमला
 जमाबंदी-नकली: रामपुर
 जमाबंदी-नकली: रामपुर नोगली

क्र.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.
203 भूमि	1	2	3	4	5	6	7
436 भूमि	2	3	4	5	6	7	8
436 म	3	4	5	6	7	8	9

Handwritten signature and stamp: (05/03) 2026
 13/04/2026
 Verified Stamp

जमाबंदी वर्ष: 2020-2021	क्षेत्रफल ईकाई: है-आ-से	क्षेत्रफल व किस्म	भूमि का क्षेत्रफल व किस्म	राजस्व गांव का ईकाई नम्बर	राजस्व गांव का ईकाई नम्बर	राजस्व गांव का ईकाई नम्बर	राजस्व गांव का ईकाई नम्बर
1571/1241	05-44-22	चरणगह दफ्तान	कच्चा व पड़ता	6	8	9	9
			बराबर खेत न.				
			(1)				
			नई				
			252				
			मलकियत				
			नोट वरए रपट नं. 205				
			मिति 19-02-2018 व				
			आदेश सहायक				
			समाहती दितिय				
			क्षेत्री रामपुर के				
			वान्ट बंदखती के				
			मु. नं. 35/2016से				
			श्रीमति सुरेखा				
			पत्नी हरेश निवासी				
			समई को ख नं. 1247.				
			1248.1249 रकबा ता.				
			00-87-33 है को वन				
			विक्षाग व वजरिया				
			पुलिस सहायता से				
			बंदखती को गई।				
			नोट वरए रपट नं 206				
			मिति 19-02-2018 व				
			आदेश सहायक				
			समाहती दितिय				
			क्षेत्री रामपुर के				

2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>वारंट बेटखली के नं. न. 43/2016से श्री मोहर सिंह सीता राम तारा चन्द पुत्र दीनराम निवासी सैतई की ख न. 1327/1328,1328/ 2.1328/3,1328/4 रकबा ता.00-77-36 है को वन विभाग व वज्रिया पुलिस सहायता से बेटखली की गई। नोट वरुण स्पट न. 207 मिति 19-02-2018 व आदेश सहायक समाहर्ता दित्तिय क्षणी रामपुर के वारंट बेटखली के नं. न. 63/2016से श्री सुन्दर सिंह पुत्र हुमी को ख.न. 14103 रकबा ता.00- 36-96 है मय चक नाला खोबर को वन विभाग व वज्रिया पुलिस सहायता से बेटखली की गई। नोट वरुण स्पट न. 208 मिति 19-02-2018 व आदेश सहायक समाहर्ता दित्तिय क्षणी रामपुर के वारंट बेटखली के</p>

2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>मु. न. 59/2016से ख. न.1410/1,1410/2 रकबा तां.00-76-68 हे. मय चक माला खोबर को वन विभाग व वज्जिया पुलिस सहायता से बंदखती की गई। नोट.करर एपट न. 211 मिति 20-02-2018 व आदेश सहायक समाहर्ता दितिय क्षेत्री रामपुर के वारंट बंदखती के मु. न. 38/2016से मणी बाल पुत्र पूर्ण सुख ख.न.1410/3 रकबा तां.00-67-99 हे. को वन विभाग व वज्जिया पुलिस सहायता से बंदखती की गई। नोट.करर एपट न. 212 मिति 20-02-2018 व आदेश सहायक समाहर्ता दितिय क्षेत्री रामपुर के वारंट बंदखती के मु. न. 40/2016 से पोखड़ राम पुत्र तेजु राम ख.न.1428/ 1,1436,1426,1427, 1429,1430 रकबा तां. 02-05-17 हे. को वन</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								विभाग व वज्रिया पुलिस सहायता से बेदखली की गई। नोट बरख रपट नं. 214 मिति 20-02-2018 व अदेश सहायक समाहर्ता द्वितिय क्षेपी रामपुर के वारन्ट बेदखली से न्नट लाल पुत्र परमानंद को रकबा ता. 00-64-00 है. को वन विभाग व वज्रिया पुलिस सहायता से बेदखली की गई।


9
 गार-बरख डिनं 254 वाका लकडीली कब्जा क इवारा
 खाला हजा में खान/क. 203मिन/436 में सालिक सरकार
 हिमाचल प्रदेश कब्जा खगं ताबे हकूक बर्तन वर्तनदाशन
 मुताबिक नबरा बर्तन खएक सालिक सरकार हिमाचल
 प्रदेश क खानाकाल कब्जा में कब्जा वन विभाग,
 जंगल डेहली, डेहली शिकारीदार क नाम मिति
 17-12-2024 से कब्जा खालिक बिधा गया है।

17-12-2024
 (0403) 10101 10101
 10101 10101
 10101 10101
 10101 10101

Certified that this copy has been generated from the database of Revenue Department at Centra
 Server- HP as accessed by the Lok Mitra Kendra Pinky Devi on 21-April-2026

To Verify, enter the Copy No above Bar Code at
<https://himbhoomilk.nic.in>
 For Validity Refer : Notific. No/Rev-C(F)/10-1/2009 Dated 14-Feb-2011
 Dist Kinnaur (HP) 172106

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
FOREST DEPARTMENT



WORKING PLAN FOR THE FORESTS

OF

RAMPUR FOREST DIVISION

(2014-2015 TO 2028-2029)

VOLUME-II

BY

B.L. NEGI, IFS

W.P.O - CUM -D.F.O. RAMPUR

Under the guidance of

*Sh. Tejinder Singh, IFS
Addl. Pr. CCF Working Plan &
Settlement, Mandi
Himachal Pradesh*

*Sh. Y.P. Gupta, IFS
Conservator of Forests
Working Plan, Solan
Himachal Pradesh*

	2	3	4	5	6
	90	D-90 Kareri NDPF	-	UPF 75	130.2665
	91	D-91 Rasandli NDPF	-	UPF 78	30.8484
	92	D-92 Rajpura NDPF	-	UPF 79	24.0951
	93	D-93 Masheli NDPF	-	UPF 80	19.2179
	94	D-94 Kumsu NDPF	-	UPF 81	14.5339
	95	D-95 Hans Bishan NDPF	-	UPF 96	4689.22
	96	D-96 Gatghor NDPF	-	UPF 97	289.9309
	97	D-97 Kasha NDPF	-	UPF 98	422.6344
	98	D-98 Pat NDPF	-	UPF 99	289.2541
	99	D-99 Kandi NDPF	-	UPF 100	42.4351
	100	D-100 Jogni Upper NDPF	-	UPF 101	45.5751
	101	D-101 Jogni Lower NDPF	-	UPF 102	42.1317
	102	D-102 Mataina NDPF	-	UPF 103	17.7115
	103	D-103 Munish Bahli NDPF	-	UPF 104	117.7409
	104	D-104 Thala NDPF	-	UPF 105	36.3214
	105	D-105 Shariri NDPF	-	UPF 106	149.6082
	106	D-106 Daran Ghati NDPF	-	UPF 107	57.3165
	107	D-107 Shraikoti NDPF	-	UPF 108	110.4274
	108	D-108 Chiksa NDPF	-	UPF 109	249.4831
	109	D-109 Deothi NDPF	-	UPF 110	12.4112
	110	D-110 Keem NDPF	-	UPF 111	61.3601
	111	D-111 Anu NDPF	-	UPF 112	13.9142
	112	D-112 Darshal NDPF	-	UPF 113	217.3497
	113	D-113 Suki gad NDPF	-	UPF 114	317.1051
	114	D-114 Shikkaridhar NDPF	-	UPF 115	179.4679
	115	D-115 Ruwan NDPF	-	UPF 116	28.1999
	116	D-116 Nogli NDPF	-	UPF 117	49.4191
	117	D-117 Shingla NDPF	-	UPF 118	13.0313
	118	D-118 Tauni NDPF	-	UPF Tauni	227.2908
arahan	119	D-119 Shraikot	-	182 a	70.47
	120	D-120 Gaura	-	182 b	113.8
	121	D-121 Phanoti	-	182 c	170.1
	122	D-122 Jamukurai	-	183	153.49
	123	D-123 Maghara	-	184	126.76
	124	D-124 Daran	-	185 h	4.86
	125	D-125 Manglad	-	186	32.4
	126	D-126 Bari	-	187	78.97
	127	D-127 Bhagawat	-	188	4.86
	128	D-128 Kundlu Chhonda	-	189	319.14
	129	D-129 Mule dhar	-	190 a	38.88
	130	D-130 Kinpheui	-	190 b	135.27

अण्डस तलीसा शंभरा शिखतवार नवीकस्त अदीस उप आठाल जाली
 114)


शिगला दिंसा ।

370
 ↓

पुशाना क दिहाव

1030 र

370




$$\frac{1241}{2} = 620.5$$

77

Undertaking

Diversion of 0.182 ha. of forest land in favour of Directorate of Transport of HP for construction of Bus Stand Nankhari, Tehsil Nankhari, Distt. Shimla HP within the jurisdiction of Rampur Forest Division, District. Shimla, Himachal Pradesh

Condition No.5	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।	प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
---------------------------	---	--


Dy. Conservator of Forests,
Rampur Forest Division,
Rampur Bushahr, H.P.


(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है :-

Undertaking

Sub:- Diversion of 0.182 ha. of forest land in favour of Directorate of Transport of HP for construction of Bus Stand Nankhari, Tehsil Nankhari, Distt. Shimla HP within the jurisdiction of Rampur Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	इस विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी
----	---	--



Regional Manager
HRTC, Rampur Bsr.


CLB

Dy. Conservator of Forest,
Rampur Forest Division,
Rampur Bushahr (H.P.)

Undertaking

Sub:- Diversion of 0.182 ha. of forest land in favour of Directorate of Transport of HP for construction of Bus Stand Nankhari, Tehsil Nankhari, Distt. Shimla HP within the jurisdiction of Rampur Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

2.	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	इस विभाग द्वारा काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
----	---	---



Regional Manager
HRTC, Rampur Bsr.


4/5

Dy. Conservator of Forest,
Rampur Forest Division,
Rampur Bushahr (H.P.)

Undertaking

Sub:- Diversion of 0.182 ha. of forest land in favour of Directorate of Transport of HP for construction of Bus Stand Nankhari, Tehsil Nankhari, Distt. Shimla HP within the jurisdiction of Rampur Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

6.	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।	इस विभाग द्वारा वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
----	---	---



Regional Manager
HRTC, Rampur Bsr.


CS

Dy. Conservator of Forest,
Rampur Forest Division,
Rampur Bushahr (H.P.)

Undertaking

Sub:- Diversion of 0.182 ha. of forest land in favour of Directorate of Transport of HP for construction of Bus Stand Nankhari, Tehsil Nankhari, Distt. Shimla HP within the jurisdiction of Rampur Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

7. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।	जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए यह विभाग बाध्य होगा।
---	---


Regional Manager
HRTC, Rampur Bsr.

45

Dy. Conservator of Forest,
Rampur Forest Division,
Rampur Bushahr (H.P.)

Undertaking

Sub:- Diversion of 0.182 ha. of forest land in favour of Directorate of Transport of HP for construction of Bus Stand Nankhari, Tehsil Nankhari, Distt. Shimla HP within the jurisdiction of Rampur Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

8.	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेसी द्वारा किया जाएगा।	इस विभाग द्वारा एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार किया जाएगा।
----	--	---

June 27/04/2026
Regional Manager
HRTC, Rampur Bsr.


45
Dy. Conservator of Forest,
Rampur Forest Division,
Rampur Bushahr (H.P.)

Undertaking

Sub:- Diversion of 0.182 ha. of forest land in favour of Directorate of Transport of HP for construction of Bus Stand Nankhari, Tehsil Nankhari, Distt. Shimla HP within the jurisdiction of Rampur Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

9.	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।	इस विभाग द्वारा स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
----	--	--


Regional Manager
HRTC, Rampur Bsr.

CS

Dy. Conservator of Forest,
Rampur Forest Division,
Rampur Bushahr (H.P.)

Undertaking

Sub:- Diversion of 0.182 ha. of forest land in favour of Directorate of Transport of HP for construction of Bus Stand Nankhari, Tehsil Nankhari, Distt. Shimla HP within the jurisdiction of Rampur Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

10.	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले-आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।	इस विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले-आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
-----	--	--


Jun 27/2026
Regional Manager
HRTC, Rampur Bsr.


ds
Dy. Conservator of Forest,
Rampur Forest Division,
Rampur Bushahr (H.P.)

Undertaking

Sub:- Diversion of 0.182 ha. of forest land in favour of Directorate of Transport of HP for construction of Bus Stand Nankhari, Tehsil Nankhari, Distt. Shimla HP within the jurisdiction of Rampur Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

11.	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।	इस विभाग द्वारा वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।
-----	--	--


Regional Manager
HRTC, Rampur Bsr.


2/5

Dy. Conservator of Forest,
Rampur Forest Division,
Rampur Bushahr (H.P.)

Undertaking

Sub:- Diversion of 0.182 ha. of forest land in favour of Directorate of Transport of HP for construction of Bus Stand Nankhari, Tehsil Nankhari, Distt. Shimla HP within the jurisdiction of Rampur Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

12.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।	इस विभाग द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए इस विभाग द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
-----	---	---


Regional Manager
HRTC, Rampur Bsr.


c/s

Dy. Conservator of Forest,
Rampur Forest Division,
Rampur Bushahr (H.P.)

Undertaking

Sub:- Diversion of 0.182 ha. of forest land in favour of Directorate of Transport of HP for construction of Bus Stand Nankhari, Tehsil Nankhari, Distt. Shimla HP within the jurisdiction of Rampur Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

13.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	इस विभाग द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।
-----	--	--


Regional Manager
HRTC, Rampur Bsr.


C/S

Dy. Commissioner of Forest,
Rampur Forest Division,
Rampur Bushahr (H.P.)

Undertaking

Sub:- Diversion of 0.182 ha. of forest land in favour of Directorate of Transport of HP for construction of Bus Stand Nankhari, Tehsil Nankhari, Distt. Shimla HP within the jurisdiction of Rampur Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

14.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।	इस विभाग द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करवाया जायेगा, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।
-----	---	---


Regional Manager
HRTC, Rampur Bsr.


C/S

Dy. Conservator of Forest,
Rampur Forest Division,
Rampur Bushahr (H.P.)

Undertaking

Sub:- Diversion of 0.182 ha. of forest land in favour of Directorate of Transport of HP for construction of Bus Stand Nankhari, Tehsil Nankhari, Distt. Shimla HP within the jurisdiction of Rampur Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

15.	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	इस विभाग द्वारा राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता की जाएगी।
-----	--	--


Regional Manager
HRTC, Rampur Bsr.

45

Dy. Conservator of Forests
Rampur Forest Division,
Rampur Bushahr (H.P.)

Undertaking

Sub:- Diversion of 0.182 ha. of forest land in favour of Directorate of Transport of HP for construction of Bus Stand Nankhari, Tehsil Nankhari, Distt. Shimla HP within the jurisdiction of Rampur Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

16.	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी।	इस विभाग द्वारा स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी
-----	--	---

[Signature]
Regional Manager
HRTC, Rampur Bsr.


C/S
[Signature]
Dy. Conservator of Forests,
Rampur Forest Division,
Rampur Bushahr (H.P.)

Undertaking

Sub:- Diversion of 0.182 ha. of forest land in favour of Directorate of Transport of HP for construction of Bus Stand Nankhari, Tehsil Nankhari, Distt. Shimla HP within the jurisdiction of Rampur Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

17.	प्रयोक्ता एजेसी सी डब्ल्यू एल डब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास उपलब्ध कराएगी।	इस विभाग द्वारा सी डब्ल्यू एल डब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास उपलब्ध करवाया जायेगा।
-----	--	---


Regional Manager
HRTC, Rampur Bsr.


4/5

Dy. Conservator of Forest,
Rampur Forest Division,
Rampur Bushahr (H.P.)

Undertaking

Sub:- **Diversion of 0.182 ha. of forest land in favour of Directorate of Transport of HP for construction of Bus Stand Nankhari, Tehsil Nankhari, Distt. Shimla HP within the jurisdiction of Rampur Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.**

18.	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	यदि आवश्यक होगा, तो इस विभाग द्वारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त की जाएगी।
-----	---	--


Regional Manager
HRTC, Rampur Bsr.


45

Dy. Conservator of Forest,
Rampur Forest Division,
Rampur Bushahr (H.P.)

Undertaking

Sub:- Diversion of 0.182 ha. of forest land in favour of Directorate of Transport of HP for construction of Bus Stand Nankhari, Tehsil Nankhari, Distt. Shimla HP within the jurisdiction of Rampur Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

19.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा। मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाए गये वृक्षों का पतन नहीं किया जायेगा।	इस विभाग द्वारा निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा। मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाए गये वृक्षों का पतन नहीं किया जायेगा।
-----	---	--


Regional Manager
HRTC, Rampur Bsr.


45

Dy. Conservator of Forest,
Rampur Forest Division,
Rampur Bushahr (H.P.)

Undertaking

Sub:- Diversion of 0.182 ha. of forest land in favour of Directorate of Transport of HP for construction of Bus Stand Nankhari, Tehsil Nankhari, Distt. Shimla HP within the jurisdiction of Rampur Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

20. इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।	इस विभाग द्वारा यह शर्त मंजूर की जाती है।
--	---


Regional Manager
HRTC, Rampur Bsr.

cls

Dy. Conservator of Forest,
Rampur Forest Division,
Rampur Bushahr (H.P.)

Undertaking

Sub:- Diversion of 0.182 ha. of forest land in favour of Directorate of Transport of HP for construction of Bus Stand Nankhari, Tehsil Nankhari, Distt. Shimla HP within the jurisdiction of Rampur Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

21.	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर लगाई जा सकती है।	इस विभाग द्वारा यह शर्त मंजूर की जाती है।
-----	--	---


[Signature]
Regional Manager
HRTC, Rampur Bsr.

45
[Signature]
Dy. Conservator of Forest,
Rampur Forest Division,
Rampur Bushahr (H.P.)

Undertaking

Sub:- Diversion of 0.182 ha. of forest land in favour of Directorate of Transport of HP for construction of Bus Stand Nankhari, Tehsil Nankhari, Distt. Shimla HP within the jurisdiction of Rampur Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

22.	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम/न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	इस विभाग द्वारा यह शर्त मंजूर की जाती है।
-----	--	---


Regional Manager
HRTC, Rampur Bsr.


4/5
4
Dy. Conservator of Forest,
Rampur Forest Division,
Rampur Bushahr (H.P.)

Undertaking

Sub:- Diversion of 0.182 ha. of forest land in favour of Directorate of Transport of HP for construction of Bus Stand Nankhari, Tehsil Nankhari, Distt. Shimla HP within the jurisdiction of Rampur Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

23.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	इस विभाग द्वारा यह शर्त मंजूर की जाती है ।
-----	---	--


Regional Manager
HRTC, Rampur Bsr.

45

Dy. Conservator of Forest,
Rampur Forest Division,
Rampur Bushahr (H.P.)

अब्बस तलीमा बजरा किरतवार बनी वस्त जदी 3 प जहाल जग्गी (114) तहसील रामपुर जिला
 शिमला हि० प्र०।

उत्तर
 ↓

पैमाना व दिशाव 10 मी. प्रति 1 से. मी.



मौल्य कुल
 क्रमसरा नम्बर
 साबिक हाल

$\frac{1571}{1241}$	$\frac{1571}{1241}$	$\frac{91(42+38)}{2}$	165
		= 3640	00-36-40

बस्त्याखरान् रब्बा
 05-07-82

अब्बस तलीमा मौला मुताबिक आदेश संख्या 729
 आदेश उपमंडलाधिकारी (ला०) रामपुर कुशीहर दिती 21-04-2026 की
 अनुपालना में जारी किया गया बिना उत्तरत वकार सरकार।

21-04-2026
 P.C. Damsa